कदवान जलाशय परियोजना को स्वीकृत नहीं किया गया था । वास्तव में, राज्य सरकार द्वारा केन्द्रीय जल आयोग की टिप्पणियों की अनुपालना करने के बाद रिपोर्ट प्रस्तुत करना अपेक्षित है । तथापि, वर्ष 1989-90 के दौरान राज्य सरकार द्वारा निर्माण पूर्व कार्यकलाप शुरू किए गए थे ।

(ख) योजना आयोग के कार्यदल ने वर्ष 1991-92 से ऐसी स्कीमों, जो 31-3-1991 तक निवेश स्वीकृति नहीं प्राप्त कर सकी हैं, को निधियों के आबंटन में समर्थन नहीं दिया ।

(ग) निर्माण-पूर्व कार्यकलापों पर मार्च, 1991 तक राज्य सरकार द्वारा 67.68 लाख रुपए व्यय किए गए हैं । जबकि परियोजना में विद्यमान सोन कमान में सिंचाई स्थायी करने तथा जल विद्युत उत्पन्न करने का भी प्रस्ताव है, परियोजना के जलविज्ञान को अंतिम रूप देने पर ही, लाभों को निर्धारित किया जा सकता है ।

Safeguards available to the Members of Co-operative Group Housing Societies in Delhi from Government side

1753. SHRI CHATURANAN MISHRA: Will the Minister of URBAN DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether Delhi Cooperative Societies Act, Consumers Protection Act and its rules etc., provide adequate safeguards to the aggrieved members who become victims of organised mismanagement, malpractices and cheating by the office-bearers of various concerned Housing Societies operating in Delhi;

(b) if so, under which specific provisions Government Agencies, Lok Adalats or Consumers Protection Act etc. can help the Members/consumers in apprehending the culprits mentioned in (a) above, who exploit the innocent members in connivance with officials of Registrar Cooperative Societies, Delhi Administration: and

(c) the details of complaints received by the Registrar's Office against various Societies and offenders and punished during last three years under the particular Law/ Act?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT (SHRI M. ARUNACHALAM): (a) The Delhi Cooperative Societies Act, 1972, Rules framed thereunder and the Bye-laws of the societies provide for adequate safeguards against mis-management/ mal-functioning in Housing Societies.

(b) Under Section 32 of Delhi Cooperative Societies Act, 1972 the erring Managing Committee of the society can be superseded, Under Section 54 and 55, there is a provision for inspection and enquiry and Under Section 59 enquiry can be initiated to restore the property to the society. Further Under Section 60 of the Act, the members can make reference to the Registrar for settlement of dispute which can be taken up for arbitration under Section 61. Provisions for audit, inspection and enquiry etc. are also contained in Rules 84 to 87 of Delhi Cooperative Societies Rules, 1973.

(c) The Registrar of cooperative societies has reported that during the last three years Managing committee of 23 societies were superseded, Inspection carried out in 25 cases and enquiry under in 31 cases and proceeding were initiated in 12 cases under relevant sections of Delhi Co-operative Societies Act.

भूतपूर्व मंत्रियों तथा संसद सदस्यों द्वारा अप्राधिकृत कब्जा

1754. श्री शंकर दयाल सिंह : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले दो वर्षों के दौरान मंत्री अथवा संसद सदस्य नहीं रहने के बावजूद सरकारी आवासों में रह रहे व्यक्तियों की संख्या कितनी है ; और

(ख) ऐसे प्रत्येक का नाम क्या है तथा उसकी ओर बकाया राशि कितनी-कितनी है तथा सरकार द्वारा उन बंगलों में अप्राधिकृत रूप से रह रहे व्यक्तियों

से बंगलों को खाली करवाने के लिए की जा रही कार्यवाही का ब्यौरा क्या है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) :(क) और (ख) उन व्यक्तियों, जिन्हें मंत्रियों या संसद सदस्यों के रूप में वास का आबंटन किया गया था, परन्तु वे उन पदों से हट गए हैं तथा जिनका कब्जा पिछले दो वर्ष से अनधिकृत हो गया, के ब्यौरे दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है । समाजवादी जनता पार्टी के भूतपूर्व मंत्री जो 20-7-91 तक अपने बंगले रखने के पात्र थे, के सिवाय विवरण में शामिल किए गए सभी मामलों में वास के आबंटन रद्द कर दिये गये हैं । इन मामलों में भी कार्यवाही की जा रही है । बंगले खाली करने के लिए शहरी विकास मंत्री ने भी भूतपूर्व मंत्रियों के साथ मामला उठाया है ।

इन कब्जाधारियों से बकाया देयों के बारे में सूचना सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

विवरण

क्र० सं०	नाम	निवास का पता
	सर्व श्री/श्रीमती	
1.	दिनेश सिंह	1-त्यागराज मार्ग
2.	एच० के० एल० भगत	34, पृथ्वी राज रोड
3.	जनार्दन पुजारी	7, अकबर रोड
4.	महावीर प्रसाद	17, तीन मूर्ति मार्ग
5.	एम० थम्बी दुराई	25, तुगलक रोड
6.	वसंत पी० साठे	3, कृष्णा मैनन मार्ग
7.	अरूण नेहरू	14, अकबर रोड
8.	अजय सिंह	5, सफदरजंग लेन
9.	आरीफ मो० खान	3, सुनहरी बाग रोड
10.	जगदीप धनकड़	4, डुप्लेक्स लेन
11.	मधु दंडवते	10, अशोक रोड
12.	मुफती मो० सईद	10, अकबर रोड
13.	नीलमणी राउत राय	1, सुनहरी बाग रोड
14.	एस० पी० मलिक	9, तीन मूर्ति मार्ग
15.	शरद यादव	9, अकबर रोड
16.	सरवर हुसैन	57, लोधी रोड
17.	शकील-उर-रहमान	1, मोती लाल नेहरू मार्ग
18.	के० सी० पन्त	7, त्यागराज रोड
19.	एन० डी० तिवारी	2, जन्तर मन्तर रोड

1	2	3
20.	आर० के० वाजपेई	6–अशोक रोड
21.	स्व० भाई शमिन्द्र सिंह	बी–2, बीके.के. एस. मार्ग, नई दिल्ली
22.	मनोज पाण्डे	सी–11/67, मोती बाग
23.	जी० के० मूपनार	24, अकबर रोड
24.	जगत पाल सिंह	20, कैनिंग लेन
25.	स्व० श्री दरबारा सिंह	9, कृष्ण मैनन मार्ग
26.	डा०जगन्नाथ मिश्रा	8, सफदरजंग लेन
27.	पुरुषोत्तम कोशिक	13, बलवंत राय मेहता लेन
28.	टी० एम० अंजैया	14–सी, फिरोज शाह रोड
29.	ब्रह्म दत्त	सी–1/5, हुमायूं रोड
30.	उमा गणपति राजू	8, तुगलक लेन
31.	वैजयंती माला बाली	76, लोधी इस्टेट
32.	जनेश्वर मिश्रा	23, सफदरजंग रोड
33.	राजमंगल पाण्डे	3, त्यागराज मार्ग
34.	हरमोहन धवन	11, तीन मूर्ति मार्ग
35.	मैनका गांधी	23, तुगलक रोड
36.	एस० के० सहाय	12, सफदरजंग रोड
37.	भगत चरण दास	14, तीन मूर्ति लेन
38.	रामजी लाल सुमन	20, विलिंगडन क्रिसेन्ट
39.	दसई चौधरी	83, लोधी इस्टेट
40.	जय प्रकाश	9, तीनमूर्ति लेन
41.	बबन राव ढाकणे	16, तुगलक रोड
42.	ललित विजय सिंह	ए० बी 96, शाहजहां रोड
43.	मनुभाई कोठाड़िया,	2, अकबर रोड
44.	उषा सिंह	6, जी आर जी रोड
45.	जे० वी० शाह	5, बी० आर० मेहता लेन
46.	देवी लाल	1, विलिंगडन क्रिसेन्ट

Applicability of Labour Laws to owerloom Workers

1755. SHRI PRAGADA KOTAIAH: Will the Minister of LABOUR be pleased to state:

(a) whether labour and factory laws are applicable to powerloom workers;

(b) if so, what are the facilities given to the workers of the powerlooms regarding wages, provident fund, gratuity and other social security measures; and

(c) if answer to the part (a) above be in the negative, what are the reasons therefor?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF LABOUR (SHRI PABAN SINGH GHATOWAR): (a) and (b) The various labour laws namely, the Factories Act, 1948, the Minimum Wages